

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14015/07/2010-अ.भा.से.-1-ख

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली; 31 मार्च, 2011


अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2009 की रिक्तियों पर हरियाणा राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश तक परिवीक्षा पर, नियुक्त करती हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत उन्हें हरियाणा संवर्ग में आवंटित करती हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)
1.	विनय सिंह
2.	चन्द्र शेखर
3.	रेनु एस. फुलिया

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित मामलों के अन्तिम परिणाम के अध्यक्षीन होगी :

- (i) युद्धवीर सिंह ख्यालिया बनाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अन्य द्वारा दायर की गई सी.डब्ल्यू. पी. सं. 13381/2006
- (ii) रमेश चन्द्र वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा दायर की गई सी.डब्ल्यू. पी. सं. 103367/1994
- (iii) सुरेन्द्र पाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर की गई सी.डब्ल्यू. पी. सं. 5982/2010


(एस.एस.शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्राणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)